संख्या- 340/2017/2275/22-2-2016-17(113)/2008

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 15 मई, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बाबूराम पुत्र श्री बलदेव निवासी जनपद-पीलीभीत की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-43967/पर-2 सलाहकार समिति/ (एम0-13-12-2016) दिनांक-15-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बाबूराम पुत्र श्री बलदेव, निवासी-धर्मपुरा फकीरे, थाना-माधौटांडा, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। बन्दी को आयुध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। बन्दी व उसके परिवार वाले मृतक रामभरोसे को पुलिस का मुखबिर समझते थे। इसी शक के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 09.07.1987 को सायं लगभग 06:00 बजे तमंचा, तलवार व कांता से मारकर उसकी हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1/1988 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत के आदेश दिनांक 02.06.1990 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.11.2016 तक 29 वर्ष 01 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 37 वर्ष 10 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा बन्दी की आयु लगभग 58 वर्ष है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, रिहाई उपरान्त पुन: अपराध कर सकने, पुन: अपराध करने में अशक्त प्रतीत नहीं होने तथा बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त प्रतीत नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। पीठासीन अधिकारी से प्राप्त अभिमत में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किया है कि बन्दी को आयुध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। बन्दी व उसके परिवार वाले मृतक रामभरोसे को पुलिस का मुखबिर समझते थे। इसी शक के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 09.07.1987 को सायं लगभग 06:00 बजे तमंचा, तलवार व कांता से मारकर उसकी हत्या की। सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अत्यन्त निर्दयता के साथ 01 व्यक्ति की नृशंस हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया है। बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा मा0 पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत शेष सजा का परिहार करते हुए सिद्धदोष बन्दी बाबूराम पुत्र श्री बलदेव को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि बन्दी बाबूराम (बन्दी संख्या-32018) पुत्र श्री बलदेव, निवासी जनपद-पीलीभीत की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-340/2017/2275(1)/22-2-2016 तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।